

# समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

विकलांग भरण भोषण अनुदान (पेंशन का प्रार्थना-पत्र)

नवीनतम फोटो जो  
ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र  
पंचायत, जिला पंचायत,  
अध्यक्ष/सभासद नगर  
पालिका/ ग्राम पंचायत  
विकास अधिकारी  
से सत्यापित

- आवेदक का नाम .....
- पिता/पति का नाम .....
- पता:-  
ग्राम/मौहल्ला.....पोस्ट.....  
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....न्याय पंचायत.....  
विकासखण्ड.....तहसील.....जनपद.....
- विकलांगता का प्रकार.....
- विकलांगता का प्रतिशत.....
- यदि कुष्ठ रोग उपचारित हों तो स्पष्ट उल्लेख करें.....
- जाति.....
- बी.पी.एल. चयनित परिवार का क्रमांक या वार्षिक आय का प्रमाण - पत्र.....  
(उपरोक्त में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
- जन्मतिथि / आयु..... (रजिस्टर भाग-दो/फोटो पहचान पत्र/शैक्षिक अभिलेख के आधार पर)
- (1) डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक का नाम एवं पत :.....

(2) खाता सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) IFS Code No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) डाकघर/ बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो प्रति (अनिवार्य रूप से संलग्न करें।)

## अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गयी सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है। किसी भी असत्य या छिपायी गयी सूचना हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी किसी भी बिन्दु पर असत्य सूचना के लिये मैं पेंशन के रूप में प्राप्त धनराशी को भू-राजस्व के रूप में राजकोष में जमा करूँगा/करूँगी।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....का (मात्र विकलांग पेंशन के अभ्यर्थियों हैं भरा जायेगा) का.....विकलांग पेंशन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी का विकलांगता प्रमाण-पत्र संलग्न है।

## ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
के हस्ताक्षर व मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर  
एवं मुहर

## शहरी क्षेत्र के लिये

सहा. समाज कल्याण अधिकारी  
के हस्ताक्षर व मुहर

तहसीलदार के हस्ताक्षर  
एवं मुहर